

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- सुनीता मीना आर.ए.एस.
उनवान

कुन्जबिहारी पुत्र पूरनमल मीना
श्यामबिहारी पुत्र पूरनमल मीना
सुरजनसिंह पुत्र पूरनमल मीना
प्रवेश पुत्र पूरनमल मीना
कैलाशी बेवा पूरनमल मीना
बीरबल पुत्र बद्री मीना
निहालसिंह पुत्र बद्री मीना
राजपाल पुत्र बद्री मीना
हुकमसिंह पुत्र बद्री मीना
निवासीयान किरवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

उमराव पुत्र गिलाड्या मीना
धर्मपाल पुत्र गिलाड्या मीना
धर्मसिंह पुत्र गिलाड्या मीना
रंगीलाल पुत्र रामधन मीना
दिनेश पुत्र रामधन मीना
सुरेश चन्द पुत्र धर्मसिंह मीना
महेश चन्द पुत्र धर्मसिंह मीना
कुलदीप पुत्र उमराव मीना
उत्तम पुत्र धर्मपाल मीना
निवासीयान किरवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0नं0:- 87 / 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण व श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः वादीगण का दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।



निज मुबालिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09.02.2024 को जारी की गई।

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुकमनामा		
वावत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					